केन्द्रीय विद्यालय संगठन
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली 110 016
Fax: 26514179 फोन TEL: 26858570
website:www.kvsangathan.nic.in

फ़ा.11073-2/2017-केविएस/(मु.)/(प्रशा.I)

दिनांक : 18.06.2018

आदेश

केंद्रीय विद्यालय संगठन के अधिशासी मंडल की दिनांक 06.03.2018 को आयोजित 109वीं बैठक में प्रदत्त संस्वीकृति की जानकारी एतद द्वारा प्रदान की जाती है कि **नबीनगर पॉवर जेनेरेशन कंपनी प्राईवेट लिमिटेड (एन.पी.जी.सी.एल.)** (नेशनल थरमल पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड और बिहार राज्य पॉवर होल्डिंग कारपोरेशन का एक संयुक्त उद्यम) के परिसर में **एक नया केंद्रीय विद्यालय परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत** शैक्षिक सत्र 2018-19 से कक्षा 1 से 8 तक (प्रत्येक कक्षा में एक सैक्शन) खोलने और साध्यता के अनुसार भविष्य में इन कक्षाओं में अभिवृद्धि करने की संस्वीकृति प्रदान की गई है।

2. तदनुसार प्रायोजक प्राधिकरण अर्थात नबीनगर पॉवर जेनेरेशन कंपनी प्राईवेट लिमिटेड, नबीनगर, औरंगाबाद, जिला औरंगाबाद, बिहार निम्नलिखित की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होंगे:-
   i. केंद्रीय विद्यालय संगठन (केविसं) के विनिर्देशानुसार स्थायी विद्यालय भवन।
   ii. केंद्रीय विद्यालयों के सभी कर्मचारियों हेतु 100% स्टाफ क्वार्टर।
   iii. परियोजना विद्यालय के वास्तविक खर्च के 15% की दर से प्रशासनिक ओवरहैड प्रभारों सहित सभी आवर्ति एवं अनावर्ति खर्च।
   iv. इस विद्यालय के संदर्भ में केविसं तथा एन.पी.जी.सी.एल. के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार अन्य सभी निबंधन एवं शर्तों का पालन ।
3. प्रायोजक प्राधिकरण आवर्ति/अनावर्ति खर्च की राशि उपायुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना को अग्रिम किस्तों में प्रेषित करेंगे, जैसे:- प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अप्रैल महीने में पहली किस्त और अक्तूबर महीने में दूसरी किस्त अग्रिम रूप में जमा की जानी आवश्यक है।
4. यदि प्रायोजक प्राधिकरण करार के अनुसार किए गए वायदे को पूरा करने में असफल रहते हैं तो आयुक्त केविसं को अधिकार है कि वे कक्षाओं/सैक्शनों की संख्या घटा सकते हैं और प्रायोजक को उचित नोटिस देकर केंद्रीय विद्यालय को बंद करने के निर्देश भी दे सकते हैं।
5. इस केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश परियोजना क्षेत्र (**Project Sector**) के अन्तर्गत आनेवाले केंद्रीय विद्यालयों के संबंध में केविसं द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्राथमिकताओं/नियमों के अनुसार दिया जाएगा।
6. प्रवेश की प्रक्रिया 30 दिन के भीतर पूर्ण कर ली जाए।

वी. विजयलक्ष्मी 18/6/18

(डॉ.वी. विजयलक्ष्मी)
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन/ कार्मिक)

वितरण:

1. माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री एवं अध्यक्ष, के.वि.सं के निजी सचिव।
2. सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) मा.सं.वि.म .एवं डिप्टी चैयरमेन के.वि.सं .के वरिष्ठ पी.पी.एस.
3. विशेष सचिव (स्कूल शिक्षा) मा.सं.वि.म. एवं उपाध्यक्ष, के.वि.सं. के वरिष्ठ पी.पी.एस.।
4. आयुक्त, केविसं के निजी सचिव।
5. अपर आयुक्त (प्रशा./शै.) केविसं के निजी सचिव।
6. संयुक्त आयुक्त(प्रशिक्षण) केविसं को इस अनुरोध के साथ की वे स्टाफ स्वीकृति आदेश जारी करें।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एनपीजीसीएल, नबीनगर को केन्द्रीय विद्यालय संगठन और एनपीजीसीएल के मध्य हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
8. उपायुक्त, केविसं क्षे .का. पटना को इस अनुरोध के साथ कि वे एनपीजीसीएल के प्राधिकारियों से संपर्क कर केन्द्रीय विद्यालय को संचालित करें । केन्द्रीय विद्यालय संगठन और एनपीजीसीएल के मध्य हुए समझौता ज्ञापन की दो प्रति (एक क्षेत्रीय कार्यालय एवं दूसरी केन्द्रीय विद्यालय के रेकॉर्ड हेतु) संलग्न हैं।
9. प्रिन्सिपल सेक्रेटरी (शिक्षा) बिहार, पटना ।
10. अधीक्षण अभियंता केविसं को सूचनार्थ ।
11. सचिव सीबीएसई, 2 कम्यूनिटी सेंटर, प्रीत विहार , दिल्ली-92
12. केविसं (मु.) के सभी अधिकारी एवं अनुभाग।
13. उपायुक्त, के.वि.सं., सभी संभागीय कार्यालय।
14. निदेशक, के.वि.सं .समस्त शिक्षा एवं प्रशिक्षण आंचलिक संस्थान।
15. उपायुक्त ई.डी.पी .को के.वि.सं .की वैबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
16. अध्यक्ष/सचिव मान्यता प्राप्त स्टाफ संघ।
17. गार्ड फ़ाइल।

*****

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली 110 016
18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg
New Delhi 110 016
Fax: 26514179 फोन TEL: 26858570
website:www.kvsangathan.nic.in

F.11073-2/2017-KVS/(HQ)/(Admn-I) Date: 18.06.2018

ORDER

Sanction of the Board of Governors, Kendriya Vidyalaya Sangathan as accorded in its 109th meeting held on 06.03.2018 is hereby conveyed for opening of a new Kendriya Vidyalaya in the campus of **Nabinagar Power Generation Company Pvt. Ltd. (NPGCL)** (a joint venture company of National Thermal Power Corporation Ltd. and Bihar State Power Holding Corporation Ltd.) under **Project Sector** with classes I to VIII (single section in each class) from the academic year 2018-19 with consequential growth in succeeding years based on feasibility.

2. It will be the responsibility of the sponsor, i.e., Nabinagar Power Generation Company Pvt. Ltd., Nabinagar, Aurangabad, District Aurangabad, Bihar to provide:

i. Permanent Vidyalaya building as per the specifications of the Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS).
ii. 100% staff quarters to all the staff of the Kendriya Vidyalaya.
iii. All recurring & non-recurring expenditure including administrative over-head charges @ 15% of the actual expenditure of the Project Vidyalaya.
iv. Other terms & conditions w.r.t. this KV would be as per Memorandum of Understanding (MoU) signed between KVS and NPGCL.

3. The sponsor shall remit the budgeted amount of recurring /non-recurring expenditure in advance installments to the Deputy Commissioner, KVS, Patna Region, i.e., first installment in the month of April and second in the month of October for each financial year.

4. In case the sponsor fails to fulfill their commitment as agreed to, the Commissioner, KVS is empowered to reduce the number of classes/sections and also direct the closure of Kendriya Vidyalaya by giving due notice to the sponsor.

5. The admission to the Kendriya Vidyalaya will be as per the priorities/rules prescribed by the KVS from time to time for the Kendriya Vidyalayas under Project Sector.

6. The admission process may be completed within 30 days.

18/6/18
(Dr. V. Vijayalakshmi)
Joint Commissioner (Admn./ Pers.)

Distribution:-
1. PS to HRM-cum-Chairman KVS.
2. Sr. PPS to Secretary (SE&L), MHRD-cum-Deputy Chairman, KVS.
3. Sr. PPS to Special Secretary (SE), MHRD-cum-Vice-Chairperson, KVS.
4. PS to Commissioner, KVS.
5. PS to Additional Commissioner (Admn. / Acad.), KVS.
6. Joint Commissioner (Training), KVS Hqrs with the request to issue staff sanction order.
7. The Chief Executive Officer, NPGCL, Nabinagar, Aurangabad, Bihar for information and necessary action along with 01 set of MoU signed between KVS and NPGCL.
8. The Deputy Commissioner, KVS, Regional Office, Patna along with 02 sets of MoU signed between KVS and NPGCL (01 for Regional Office and other for KV record) with the request to liaise with the sponsoring authority and make the KV functional with immediate effect.
9. The Principal Secretary (Education), Govt. of Bihar, Patna.
10. The Superintending Engineer, KVS for information.
11. Secretary, CBSE, 2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi-92
12. All Officers/Sections, KVS Hqrs.
13. Deputy Commissioner, KVS, All Regional Offices.
14. Director, all ZIETs, KVS.
15. The Deputy Commissioner (EDP), KVS to upload the order on KVS website.
16. President/ General Secretary recognized KVS Staff Association.
17. Guard File.

*****